**वित्तीय स्वीकृति (2017-18)**

**संख्या- 12/2017/923/एक-5-2017-94/2008**

**प्रेषक,**

**क्षेत्रपाल**
**संयुक्त सचिव**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

**आयुक्त एवं सचिव,**
**राजस्व परिषद, उ0प्र0**
**लखनऊ।**

**राजस्व अनुभाग-5** **लखनऊः दिनांक 17 अगस्त, 2017**

**विषयः- जनपद संत कबीर नगर के कलेक्ट्रेट के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अन्तर धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-735/12-भवन-65/97(2) टी0सी0, दिनांक 17 जुलाई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद संत कबीर नगर के कलेक्ट्रेट के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-2238/1-5-2009-94/08, दिनांक 29 सितम्बर, 2009 के द्वारा मानकीकृत लागत रु0 500.97 लाख के आधार पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन तथा प्रथम किश्त के रूप में रु0 46.70 लाख तथा शासनादेश संख्या-577/एक-5-2010-94/08, दिनांक 26 फरवरी, 2010 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-931/एक-5-2012-94/2008, दिनांक 28 अगस्त, 2012 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 175.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-556/1-5-2013-94/2008, दिनांक 08 अगस्त, 2013 के द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 79.27 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार मानकीकृत लागत रू0 500.97 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी थी। उक्त लागत स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-45-एक-5-2016-94/2008, दिनांक 11 मार्च, 2016 के द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रू0 1257.83 लाख की पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप पूर्व में अवमुक्त की गयी कुल रू0 500.97 लाख की धनराशि को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 756.86 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-481/एक-5-2016- 94/2008, दिनांक 13 अप्रैल, 2016 द्वारा पंचम किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है अर्थात् अब तक कुल रू0 1000.97 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के अनुक्रम में उक्त कार्य हेतु रू0 193.97 लाख (रूपये एक करोड़ तिरान्नबे लाख सत्तान्नबे हजार मात्र) की धनराशि षष्टम किश्त के रूप में अवमुक्त कर उक्त प्रयोजन हेतु नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

**(1)** राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

**(2)** यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

**(3)** स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत संबन्धी पूर्व में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

**(4)** प्रश्नगत परियोजना हेतु अनुमोदित लागत रू0 1257.83 लाख की 05 प्रतिशत धनराशि रू0 62.89 लाख परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने तथा कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे प्राप्त किये जाने के उपरान्त नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।

**(5)** स्वीकृत धनराशि को डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

**2-** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-106-साधारण पूल आवास-07-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

**3-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

**भवदीय,**
**क्षेत्रपाल**
**संयुOr सचिव**

**संख्या-12/2017/923(1)/एक-5-2017-94/2008,तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

**1-** महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
**2-** कोषाधिकारी, लखनऊ।
**3-** वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
**4-** वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
**5-** जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
**6-** प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
**7-** राजस्व अनुभाग-6
**8-** गार्ड पत्रावली।

**आज्ञा से,**
**क्षेत्रपाल**
**संयुOr सचिव**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।